राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 16(1)एमई / ग्रुप–1 / 2014 जयपुर, दिनांक : 09–12–2014

आदेश

निदेशालय चिकित्सा शिक्षा अपने नये भवन में क्रियाशील हो गया है। अतः निदेशालय चिकित्सा शिक्षा में कार्य किये जाने हेतु निम्नांकित कार्य आवंटित किया जाता है :–

(1) चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित समस्त बजट एवं आयोजना से संबंधित समस्त कार्य एवं विभागीय निरीक्षण, ऑडिट पैरा, जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं इससे संबंधित अन्य समितियाँ, आरएमआरएस तथा राज्य व भारत सरकार की समस्त योजनाओं की क्रियान्विति संबंधित कार्यवाही शासन स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु एकल पत्रावली के माध्यम से शासन को भिजवाये जायेंगे।

(2) विधिक संबंधी समस्त कार्य, राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 में संशोधन व अराजपत्रित से संबंधित सेवा नियम बनाने से संबंधित समस्त कार्य शासन स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु एकल पत्रावली के माध्यम से शासन को भिजवाये जायेंगे।

(3) विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभा से संबंधित समस्त कार्य एवं प्रश्न के उत्तर शासन स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु एकल पत्रावली के माध्यम से शासन को भिजवाये जायेंगे।

(4) अराजपत्रित कर्मचारियों / नर्सिंग कर्मचारियों / पैरा मेडिकल से संबंधित समस्त कार्य मय शिकायत आवश्यक होने पर शासन स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु एकल पत्रावली के माध्यम से शासन को भिजवाये जायेंगे।

(5) सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक सभी विशिष्ठताओं के संस्थापन, पीटीआई व पुस्तकालयाध्यक्ष संबंधी समस्त कार्य शासन स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु एकल पत्रावली के माध्यम से शासन को भिजवाये जायेंगे।

(6) नई भर्ती की अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवाये जाने हेतु, सहायक आचार्य व वरिष्ठ प्रदर्शक की वरिष्ठता सूची जारी करना, एम.सी.आई. नॉर्म्स के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सक शिक्षकों की कमी की पूर्ति करना एवं डी.ए.सी.पी. व डी.पी.सी. प्रस्ताव राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवाये जाने हेतु स्क्रिनिंग कमेटी एवं डीपीसी बैठक आयोजित किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को भिजवाये जावेंगे।

(7) आवश्यक / अस्थाई आधार पर नियुक्ति से संबंधित समस्त पदों का सृजन, नियुक्ति एवं अभिवृद्धि का अनुमोदन आवश्यक होने पर शासन स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु एकल पत्रावली के माध्यम से शासन को भिजवाये जायेंगे।

(8) राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय / दन्त महाविद्यालय एवं नये राजकीय मेडिकल कॉलेज / राजकीय दन्त महाविद्यालय खोले जाने संबंधी समस्त कार्य शासन स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु एकल पत्रावली के माध्यम से शासन को भिजवाये जायेंगे।

(9) सूचना का अधिकार, मानवाधिकार, लोकायुक्त सचिवालय एवं जन सुनवाई का अधिकार, सुगम पोर्टल, सी.एम.आई.एस., लोक सेवा गारंटी अधिनियम एवं अन्य आयोगों से संबंधित प्रकरण शासन स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु एकल पत्रावली के माध्यम से शासन को भिजवाये जायेंगे।

(10) सहायक आचार्य व वरिष्ठ प्रदर्शको से संबंधित प्राप्त शिकायते, समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार एवं चिकित्सा शिक्षा से संबंधित समस्त संगठनों की मांगों से संबंधित समस्त कार्य आवश्यक होने पर शासन स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु एकल पत्रावली के माध्यम से शासन को भिजवाये जायेंगे।

क्रमशः– 2

(11) यू.जी./पी.जी./सीटों में बढ़ोतरी, प्रवेश एवं फीस निर्धारण आदि, पीपीपी योजना, टेलीमेडिसिन, समस्त मेडिकल कॉलेजों में कम्प्यूटराईजेशन के तहत प्राप्त प्रस्तावों की क्रियान्विति से संबंधित समस्त कार्य आवश्यक होने पर शासन स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु एकल पत्रावली के माध्यम से शासन को भिजवाये जायेंगे।

(12) यूजी छात्रों के माईग्रेशन, इन्टर्नशिप से संबंधित समस्त प्रकरण आवश्यक होने पर शासन स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु एकल पत्रावली के माध्यम से शासन को भिजवाये जायेंगे।

(13) समस्त प्रकार के प्रशिक्षण, सेमीनार, कैम्प, डिप्लोमा, पैरा मेडिकल कोर्सेज, एमएससी/बीएससी/नर्सिंग कोर्स, पर्यावरण बोर्ड, वेस्ट मेनेजमेन्ट, शैक्षणिक कार्य, वीवीआईपी विजिट्स आदि से संबंधित कार्य।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होंगे।

आदेश से,

(जे.सी. महान्ति)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
7. उप शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज., जयपुर।
10. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर/झालावाड़ को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त विषयों से संबंधित समस्त पत्राचार निदेशालय चिकित्सा शिक्षा से करे।
11. सहायक शासन सचिव/विशेषाधिकारी/सहायक विधि परामर्शी/अनुभागाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
12. समस्त प्रकरण लिपिक।
13. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 एस.पी. सिंह)
शासन संयुक्त सचिव